न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 27/2016

1. फुलवन्ती पत्नी रामचन्द्र
2. नरेन्द्र पुत्र रामचन्द्र
3. रामचन्द्र पुत्र ठाकरराम

जाति कुम्हार निवासी 5 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थीगण

बनाम

ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द जाति कुम्हार निवासी 5 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर
दिनांक 11.01.2016
उपस्थिति :–

श्री विक्रम बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी
श्री प्रदीप सिहाग अभिभाषक रेस्पों.

निर्णय दिनांकः 10.12.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों./वादी ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज.काश्त.अधि. की धारा 212 के तहत प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि चक 5 एम.एल. के मु.नं. 14 के कि.नं. 2 में स्थापित टयूबवैल जो डूंगरराम के नाम से है, से प्रत्येक सप्ताह में प्रार्थी को 56 घंटा पानी लगाने में अडचन पैदा न करें। अप्रार्थीगण ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया। तत्पश्चात दिनांक 04.01.2016 को अप्रार्थीगण ने एक प्रा.पत्र धारा 151, 152 सीपीसी पेश कर कथन किया कि न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश में टयूबवैल की हद तक संशोधित किये जाने का आदेश दिये जाने का आदेश दिया जावे।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 11.01.2016 को प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट रिकार्डेड खातेदार है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधी. न्यायालय ने टयूबवैल व मौके व रिकार्ड की यथास्थिति रखने का आदेश दिया है जबकि अपीलार्थीगण ने दिनांक 04.01.2016 को एकतरफा तौर पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को संशोधित करने का निवेदन किया था जिस पर कोई आदेश पारित नहीं किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलांट द्वारा चाहे गये संशोधन अनुसार आदेश पारित किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आर.आर.डी. 1987 पेज 135 का न्याय दृष्टांत पेश किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि टयूबवैल के सम्बन्ध में यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया जाता है तो रेस्पों. को कोई एतराज नहीं है। वस्तुतः अधी. न्यायालय ने टयूबवैल के सम्बन्ध में आदेश पारित किया है। अधी. न्यायालय में अपीलांट स्वयं ने कहा है कि जारी स्थगन आदेश टयूबवैल की हद तक सीमित व संशोधित किया जाए। ऐसी स्थिति में इस अपील का कोई औचित्य नहीं है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय द्वारा दिनांक 08.04.2010 को टयूबवैल के सम्बन्ध में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखने के आदेश दिये हैं। इस सम्बन्ध में अपीलांट ने अधी. न्यायालय में दिनांक 04.01.2016 को टयूबवैल की हद तक सीमित व संशोधित किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रथम दृष्टया अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि न्यायालय की पत्रावली में यही आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है परन्तु पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद न बढे एवं कोई भ्रान्ति की स्थिति उत्पन्न न हो इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2010 जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2016 को

पुष्ट किया गया है, अधी. न्यायालय का यह आदेश केवल टयूबवैल के सम्बन्ध में ही प्रभावी माना जाएगा।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर